बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

संकल्प

विषयः– बिहार राज्य के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹ 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) मात्र वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

बिहार की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। यहाँ का इतिहास और विरासत सदियों से हमारी कला और संस्कृति के विकास का गवाह रहा है। यहाँ के कला को विशिष्ट और अक्षुण्ण रखते हुए इसे संरक्षित करने में यहाँ के कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किन्तु ये कलाकार निपुण होने के बावजूद कालांतर में दिन प्रतिदिन के जीवन यापन की विकट परिस्थिति से घिरे रहते हैं।

2–राज्य सरकार यह मानती है कि ऐसे वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय कला–संस्कृति की सेवा में समर्पित किया है। अतः कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को मासिक ₹ 3,000/–(तीन हजार रूपये) की पेंशन प्रदान की जाएगी, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

बिहार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने हेतु जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध आर्थिक रूप से कमजोर उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना लागू किया जाना है।

3–**योजना के मुख्य बिन्दु–**

(क) लाभार्थी– बिहार राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले पारंपरिक, शास्त्रीय, चाक्षुष एवं प्रदर्श कलाओं से जुड़े कलाकार।

(ख) आयु सीमा–कलाकार की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयु के प्रमाण पत्र हेतु जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल का प्रमाण पत्र/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(ग) आय सीमा–कलाकार की वार्षिक आय ₹ 1,20,000/–(एक लाख बीस हजार रूपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो आय प्रमाण पत्र (समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत) द्वारा समर्थित होगा।

(घ) अनुभव–जिला/राज्य/राष्ट्र स्तर पर पारंपरिक, शास्त्रीय, चाक्षुष एवं प्रदर्श कला क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का सक्रिय योगदान हो। सक्रिय योगदान/उपलब्धियों से संबंधित साक्ष्य/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(ङ) कलाकार किसी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् पेंशन से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।

(च) कलाकार विभागीय पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया–

योजना हेतु विज्ञापन के माध्यम से योग्य एवं इच्छुक कलाकारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदक सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों के साथ आवेदन पत्र अपने जिले के जिलाधिकारी के समक्ष दाखिल करेंगे।

आवेदन की समीक्षा हेतु समिति का गठन–

प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाली समीक्षा समिति गठित की जायेगी, जो प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसा सहित विभाग को उपलब्ध करायेंगे :–

क्र०	पदनाम	भूमिका
(i)	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी	सदस्य–सचिव
(iii)	जिलें में स्थित दूरदर्शन केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्र के प्रतिनिधि (अगर हो तो)	सदस्य
(iv)	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	सदस्य
(v)	संगीत/नाटक/नृत्य/चित्रकला एवं विभिन्न प्रकार के शिल्पों में पारंगत एक कलाकार जिसकी पहचान कम से कम जिला स्तर पर स्थापित हो	सदस्य

विभाग स्तर पर अनुमोदन–

स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसित आवेदन पत्रों की समीक्षा विभागीय स्तर पर विशेषज्ञ समिति द्वारा की जायेगी, जो निम्नवत होगाः–

क्र०	पदनाम	भूमिका
(i)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार	अध्यक्ष
(ii)	विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	सदस्य
(iii)	निदेशक, सांस्कृतिक कार्य	सदस्य–सचिव
(iv)	सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना	सदस्य
(v)	सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना	सदस्य
(vi)	संगीत/नाटक/नृत्य/चित्रकला एवं विभिन्न प्रकार के शिल्पों में पारंगत एक कलाकार जिसकी पहचान कम से कम राज्य स्तर पर स्थापित हो	सदस्य

पेंशन (वित्तीय सहायता) भुगतान की प्रक्रिया–

- चयनित कलाकारों को निर्धारित पेंशन राशि आधार संख्या से लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान की जाएगी।
- इसके लिए चयनित लाभार्थियों को अपना आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य रूप से संचालित करना होगा।

- भुगतान प्रक्रिया में वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों को पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- पेंशन धारकों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी द्वारा निर्गत जीवन प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

सहायता बंद किया जाना–

(क) Life Certificate उपलब्ध नहीं कराने पर

(ख) गलत सूचना उपलब्ध कराने पर

वित्तीय प्रावधान–

वित्तीय वर्ष	व्यय राशि (रूपये में)
2025–26	₹ 1,00,00,000/–

- तीन वर्षों के बाद योजना की समीक्षा की जाएगी एवं भविष्य में इसे जारी रखने पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किया जायेगा।

4–योजना से संबंधित नया बजट शीर्ष खोलकर राशि का प्रावधान किया जायेगा।

5–बिहार राज्य के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन प्रदान किये जाने हेतु मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 2025–26 में **₹** 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) मात्र वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर दिनांक 01.07.2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–1 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(प्रणव कुमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–2/वि.60–74/2025–.....**517**......./पटना, दिनांक **01.07.2025**

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–2/वि.60–74/2025–.....**517**......./पटना, दिनांक **01.07.2025**

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–2 / वि.60–74 / 2025–.....**517**....... / पटना, दिनांक **01.07.2025**

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के सचिव।

ज्ञाप सं0–2 / वि.60–74 / 2025–.....**517**....... / पटना, दिनांक **01.07.2025**

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त बिहार / सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / संयुक्त सचिव / सभी निदेशक / उप सचिव / सभी पदाधिकारी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक / महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित निगम लि0, पटना / सचिव, बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना / सचिव, बिहार ललित कला अकादमी, पटना / प्रशासी पदाधिकारी, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना / निदेशक, मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी / सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बिहार / आई0टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/7/25

सरकार के सचिव।